निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण,उत्तराखण्ड,
उद्यान भवन,चौबटिया,रानीखेत (अल्मोड़ा)

पत्रांक 231 /दो–34(3)/2025–26, दिनांकःचौबटियाःमईः 02/2025

1– मुख्य उद्यान अधिकारी,
अल्मोडा/नैनीताल/पिथौरागढ़/ऊधमसिंहनगर/देहरादून/उत्तरकाशी/चमोली/ हरिद्वार

2– जिला उद्यान अधिकारी,
बागेश्वर/चम्पावत/टिहरी/पौडी/रूद्रप्रयाग।

3– आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी, मुनस्यारी/उत्तरकाशी।

4– उद्यान विशेषज्ञ, कोटद्वार।

5– मुख्य मशरूम विकास अधिकारी, ज्योलीकोट–नैनीताल/देहरादून।

6– उद्यान प्रशिक्षण अधिकारी, ग्वालदम (चमोली)।

7– अधीक्षक, प0दीनदयाल उपाध्याय, राजकीय उद्यान, चौबटिया।

8– अधीक्षक, राजकीय उद्यान, दूनागिरी/रामगढ़।

9– वरिष्ठ कीट विद्, राजकीय मौन पालन केन्द्र, ज्योलीकोट–नैनीताल।

10– उपनिदेशक, (उद्यान/रसायन) औद्या0प्रशि0एवं परी0 केन्द्र,चौबटिया/श्रीनगर (पौडी)।

11– उपनिदेशक (वनस्पति विज्ञान) राजकीय,प्रजनन उद्यान काशीपुर–ऊधमसिंहनगर।

12– प्रधानाचार्य, राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र, कोटद्वार /रामनगर (नैनीताल)।

13– पौधशाला विकास अधिकारी,
रूद्रपुर/सौनी/ढकरानी/जरमोला/विषाढ़/मगरा/कुम्भीचौड़/परसारी।

14– संयुक्त निदेशक,उद्यान, कुमायूं मण्डल नैनीताल/गढ़वाल मण्डल पौडी।

15– अपर निदेशक, उद्यान, राजकीय उद्यान सर्किट हाउस, देहरादून।

16– कार्यालयाध्यक्ष, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उद्यान भवन, चौबटिया–रानीखेत।

विषय– वार्षिक स्थानान्तरण के संबंध में।

उपरोक्त विषयक अवगत करना है कि कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्याः–282747/XXX(2)/2025 ई–20917,दिनांक 17.03.2025 एवं पत्र संख्याः 1/ 289938/ XXX(2)/2025 ई 33080,दिनांकः 15.04.2025 के आलोक में वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 तथा कार्मिक अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–30, दिनांकः 06.02.2018 में निहित व्यवस्था के आलोक में वर्ष 2025–26 में स्थानान्तरण अधिनियम में निहित निर्देशों का पालन किया जाना है।

इसी क्रम में यह अवगत करना है, कि स्थानान्तरण अधिनियम में सुसंगत प्राविधानों एवं तद्संबंधी शासनादेशों के आलोक में विकास शाखा एवं प्रयोग एवं प्रशिक्षण/खाद्य प्रसंस्करण/मशरूम /कीट एवं पौध परीक्षण शाखा, मिनिस्ट्रीयल संवर्ग,वैयक्तिक सहायक संवर्ग, वाहन चालक/टैक्टर चालक संवर्ग में कार्यरत कार्मिकों के संबंध में सुगम से दुर्गम तथा दुर्गम से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु विभिन्न सम्वर्गो के पात्र कार्मिकों का विवरण विभागीय वैबसाईट shm.uk.gov.in पर प्रदर्शित की जा रही है।

अतः उक्त के संबंध में आपको अवगत करना है, कि आप अपने अधीनस्थ कार्यरत कार्मिकों को इससे अवगत कराना सुनिश्चित करें, यदि आपके अधीनस्थ कार्यरत किसी कार्मिक द्वारा अपने सेवा संबंधी प्रविष्टियों के संबंध में कोई आपत्ति तथा उल्लेखित धाराओं में छूट के संबंध में संशोधन दर्ज कराना हो तो पूर्ण अभिलेख साक्ष्यों सहित एक सप्ताह के भीतर अपनी संस्तुति सहित ई–मेल/डाक द्वारा अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि के बाद काई आपत्ति/संशोधन मान्य नही होगा। उक्त के अतिरिक्त अनिवार्य स्थानान्तरण की परिधि में आने वाले कार्मिकों का विवरण में जो कार्मिक पात्र हैं, वे 10 इच्छित स्थानों हेतु विकल्प पत्र उक्त निर्धारित तिथि तक निदेशालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।

इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 13,14 17(1)(ख) के प्राविधानों के अनुरूप अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण चाहने हेतु 10 इच्छित स्थानों हेतु विकल्प/आवेदन पत्र प्रत्येक दशा में पत्र निर्गत की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने स्तर से निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
निदेशालय,मुख्यालय।

पत्रांक 231 /उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपिः– वरिष्ठ वैयक्तिक अधिकारी,(निदेशक) को निदेशक महोदया के सादर संज्ञानार्थ प्रस्तुत।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
निदेशालय,मुख्यालय।